



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249061
CG-DL-E-29092023-249061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4111]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945

No. 4111]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

का.आ. 4282(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी', (PAN AAAGN0886J), केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक सोसाइटी, को उस सोसाइटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

(क) सरकारी अनुदान;

(ख) आरटीआई, निविदा शुल्क, अर्थदंड एवं शास्ति और अप्रचलित वस्तुओं की बिक्री से विविध प्राप्ति; और

(ग) जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्न के अध्यक्षीन प्रभावी होगी कि 'नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी' –

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;

(ख) कार्यकलापों और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल की जाएगी।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2022-2023 के संबंध में लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए संगत होगी तथा निर्धारण वर्ष 2023-2024 से 2026-2027 से लागू होगी और क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2025-2026 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 85/2023 फा. सं. 300196/20/2022-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।